झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

संकल्प

विषयः— **झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठा पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक—01.01.2006 से लागू करने के संबंध में।**

झारखण्ड राज्य के विष्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के षिक्षकेत्तर कर्मियों को छठा पुनरीक्षित वेतनमान का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के विष्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के षिक्षकेत्तर कर्मियों को छठा पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु सदस्य, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था।

2. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुषंसा के आलोक में छठा पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक—01.01.2006 से लागू करने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित वेतनमान की सूची क्रमांक—1 से 49 परिषिष्ट—'क' के रुप में इस संकल्प के साथ संलग्न है।

3. इस संषोधित वेतनमान का लाभ विष्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के मात्र वैसे कर्मियों को स्वीकृत किया जायेगा जो विधिवत् सृजित पदों के विरुद्ध विहित प्रक्रिया अपनाकर वैध तरीके से नियुक्त किए गए है।

4. संलग्न परिषिष्ट—'क' के स्तंभ—3 एवं 4 में वर्णित वेतनमान एवं ग्रेड पे तथा स्तंभ—5 में उल्लेखित शर्त्तों के अधीन संशोधित वेतनमान दिनांक—01.01.2006 के प्रभाव से लागू होगा।

5. विष्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के षिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन निर्धारण में वही फर्मूला लागू किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार के कर्मियों के वेतन निर्धारण के मामले में लागू है।

6. विष्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के षिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पेंषन की स्वीकृति की शर्त्ते राज्य सरकार के कर्मियों के लिए मान्य पेंषन की दर एवं पेंषन स्वीकृति की शर्त्तों के ही अनुरुप रखने का निर्णय है। घाटानुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के षिक्षकेत्तर कर्मचारियों के मामले में यह सुविधा दिनांक—19.12.2012 से विभागीय संकल्प—1470, दिनांक—19.12.2012 में अंकित शर्त्तों के अधीन होगा।

7. विष्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के षिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप देय भत्तों का भुगतान राज्य कर्मचारियों को स्वीकृत भत्तों की तरह अनुमान्य होगा।

8. संलग्न परिषिष्ट–'क' में जिन पदों के समक्ष यह अंकित है कि भविष्य में इन पदों पर कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी, उन पदों को संबंधित विष्वविद्यालय/महाविद्यालय रिक्त होते ही अविलम्ब प्रत्यार्पित (Surrender) कर देंगे तथा शेष पदों को भी जैसे–जैसे कार्यरत कर्मी सेवानिवृत होते जायेंगे, प्रत्यार्पित (Surrender) कर दिया जायेगा।

9. इस वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरुप होने वाले अन्तर वेतनादि बकाये का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा। 50 प्रतिषत बकाये का भुगतान वित्तीय वर्ष 2013–14 में किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिषत बकाये का भुगतान वित्तीय वर्ष 2014–15 में किया जायेगा।

10. वेतन निर्धारण का सत्यापन प्रषासी विभाग द्वारा करने के पष्चात् ही नये वेतनमान का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

आदेषः– आदेष दिया जाता है कि इसे झारखण्ड राजपत्र में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि राज्य के पाँचों विष्वविद्यालयों को भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेष से
ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–5/वि.1–31/2011 उ0षि0– राँची, दिनांक :

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट में प्रकाषनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–5/वि.1–31/2011 उ0षि0– राँची, दिनांक :

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, झारखण्ड/लेखा पदाधिकारी, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–5/वि.1–31/2011 उ0षि0–357 राँची, दिनांक : 13.03.2013

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड/निदेषक (उच्च षिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय परामर्षी के विषेष कार्य पदाधिकारी/कुलसचिव, राँची विष्वविद्यालय, राँची/विनोबा भावे विष्वविद्यालय, हजारीबाग/सिदो–कान्हू मुर्मू विष्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विष्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/कोल्हान विष्वविद्यालय, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

<u>परिशिष्ट 'क'</u>

<u>वेतन पुनरीक्षण तालिका</u>

क्र0	पदनाम	वर्त्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	अभ्युक्ति
1.	विकास पदाधिकारी	8000-13,500	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-5400)	
2.	संपदा पदाधिकारी (विष्वविद्यालय का पद)	6500-10,500	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4800)	मात्र वर्त्तमान पदधारक के लिए। भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी। संपदा पदाधिकारी ही जनसम्पर्क पदाधिकारी का कार्य करेंगे। जनसम्पर्क पदाधिकारी का पद समाप्त कर दिया गया है।
3.	प्रषाखा पदाधिकारी/प्रषासी पदाधिकारी (विष्वविद्यालय का पद)	6500-10,500	PB-II, 9300-34,800 (G.P.- 4800)	
4.	सहायक अभियंता (विष्वविद्यालय का पद)	8000-13,500	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-5400)	सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार जे0पी0एस0सी0 की अनुषंसा पर नियुक्ति की जाएगी।
5.	लेखा एवं आय–व्यय पदाधिकारी (विष्वविद्यालय का पद)	6500-10,500	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4800)	सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार जे0पी0एस0सी0 की अनुषंसा पर नियुक्ति की जाएगी।
6.	आंतरिक अंकेक्षक (विष्वविद्यालय का पद)	5500-9000	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4200)	सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुषंसा पर नियुक्ति की जायेगी।
7.	शोद्य सहायक (विष्वविद्यालय का पद)	5500-9000	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4200)	(नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी।) भविष्य में इन पदों पर नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुषंसा पर किया जायेगा।
8.	सहायक (विष्वविद्यालय का पद) **नोटः–भविष्य में उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य शैक्षणिक सहित अन्य वांछित योग्यता सचिवालय सेवा नियमावली के अनुरुप होगी।**	5500-9000 **जो सचिवालय सहायक हेतु अपेक्षित योग्यता रखते हों अन्यथा** 4000-6000	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4600) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	भविष्य में इन पदों पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुषंसा पर नियुक्ति की जायेगी।
9.	उच्चवर्गीय लिपिक (विष्वविद्यालय का पद)	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	
10.	निम्नवर्गीय लिपिक (विष्वविद्यालय का पद)	3050-4590	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-1900)	
11.	महाविद्यालय का प्रधान लिपिक/प्रधान	5500-9000 योग्यता सचिवालय	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4200)	चूँकि ये महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के वरीयतम पद है। 50 वर्ष से कम उम्र वाले ऐसे

	सहायक / लेखापाल / प्रधान लेखापाल	लिपिकीय सेवा के अनुरुप, अन्यथा 4500-7000		कर्मियों को 330 शब्द प्रति मिनट की टंकण दक्षता संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा अन्यथा वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
12.	महाविद्यालय का पुस्तकाध्यक्ष / केन्द्रीय पुस्तकालय का सहायक पुस्तकाध्यक्ष			यह वेतनमान उन्हें ही अनुमान्य होगा जो राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक–1682 / जी0एस दिनांक–15.07.86 में निर्धारित योग्यता रखते हैं।
13	महाविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष / सहायक पुस्तकाध्यक्ष / कैटलोगर / क्लासीफायर–सह–कैटलोगर / प्रोफेषनल लाईब्रेरी सहायक (क) स्नातक के साथ पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री / डिप्लोमा (ख) स्नातक किन्तु पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त नहीं	5000-8000 4500-7000	PB-II, 9300-34,800 (G.P. 4200) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2800)	
14	पुस्तकालय सहायक / सॉर्टर	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2800)	
15	शारीरिक षिक्षा अनुदेषक (पी0टी0आई0) (क) स्नातक के साथ शारीरिक षिक्षा में डिप्लोमाधारी (ख) मैट्रिक के साथ शारीरिक षिक्षा में डिप्लोमा (ग) ग्रेजुएट अप्रषिक्षित (घ) मैट्रिक अप्रषिक्षित	5000-8000 45700-7000 4000-6000 3200-4900	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4200) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2800) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	
16	प्रयोग प्रदर्षक	5500-9000	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4200)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में न तो कोई नियुक्ति की जायेगी और न ही प्रोन्नति दी जायेगी। पदधारक की सेवानिवृत्ति के साथ ही ये पद समाप्त हो जायेंगे।

17	प्रयोग प्रदर्षक सेलेक्षन ग्रेड	8000-13500	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-5400)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में न तो कोई नियुक्ति की जायेगी और न ही प्रोन्नति दी जायेगी। पदधारक की सेवानिवृत्ति के साथ ही ये पद समाप्त हो जायेंगे।
18	प्रयोगषाला सहायक / प्रयोगषाला तकनीषियन / प्रयोगषाला प्रभारी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बी0एस0सी0 / बी0ए0	5500-9000	PB-II, 9300-34,800 (G.P.-4200)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में न तो कोई नियुक्ति की जायेगी और न ही प्रोन्नति दी जायेगी। पदधारक की सेवानिवृत्ति के साथ ही ये पद समाप्त हो जायेंगे।
19	कनीय प्रयोगषाला सहायक / प्रयोगषाला तकनीषियन / प्रयोगषाला प्रभारी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आई0एस0सी0 / आई0ए0	4500-7000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2800)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में न तो कोई नियुक्ति की जायेगी और न ही प्रोन्नति दी जायेगी। पदधारक की सेवानिवृत्ति के साथ ही ये पद समाप्त हो जायेंगे।
20.	आर्टिस्ट–सह–फोटोग्राफर (क) डिग्री / डिप्लोमाधारकों के लिए (ख) जिन्हें डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त नहीं है	4500-7000 4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2800) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
21.	अंकेक्षक (विष्वविद्यालय का पद)	5000-8000 (राज्य सरकार के कर्मियों की तरह)	PB-II 9300-34800 (G.P.-4200)	पूर्व में ये पद कनीय एवं वरीय अंकेक्षण के थे, जिन्हें पंचम पुनरीक्षित वेतनमान में अंकेक्षण का पदनाम दिया गया है।
22.	तबला वादक	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
23.	ड्राफ्ट मैन (भूगोल विभाग)	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	
24.	भण्डारपाल (विष्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पद)	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	
25.	लिपिक–सह–टंकक / कनीय लेखा लिपिक (विष्वविद्यालय का पद)	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (GP-2400)	
26.	महाविद्यालयों का पदः– लिपिक / कनीय लिपिक / टंकक नोटः भविष्य में नई नियुक्तिः– (क) निम्नवर्गीय लिपिक (ख) उच्चवर्गीय लिपिक	4000-6000 3050-4590 4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-1900) PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	
27	सुलेखकार	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (G.P.-2400)	

28.	सहायक लेखापाल / दिनचर्या लिपिक / काउंटर क्लर्क / कॉरेसपोन्डेन्स क्लर्क / कैषियर नोटः— भविष्य में नई नियुक्ति :— (क) निम्नवर्गीय लिपिक (ख) उच्चवर्गीय लिपिक	4000-6000 3050-4590 4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (GP. 2400) PB-I, 5200-20,200 (GP-1900) PB-I, 5200-20,200 (GP-2400)	
29.	प्रधान टंकक	4500-7000	PB-I, 5200-20,200 (GP-2800)	
30.	स्टोनो—1	5000-8000	PB-II, 9300-34,800 (GP-4200)	
31.	स्टोनो—2	4000-6000	PB-I, 5200-20,200 (GP-2400)	
32.	कम्पाउन्डर (रसायनषास्त्र विभाग) / सेक्षन कटर (भूगर्भ विज्ञान)	3050-4590	PB-I, 5200-20,200 (GP-1900)	
33.	बिजली मिस्त्री / मेकनिक / कारपेन्टर / प्लम्बर	3050-4590	PB-I, 5200-20,200 (GP-1900)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
34.	चालक	3050-4590	PB-I, 5200-20,200 (GP-1900)	
35.	प्रयोगषाला वाहक / स्पेषिमेन कलक्टर / बैंक पिउन	2650-4590	-1S, 4440-7440 (G.P.-1650)	
36.	दफ्तरी	2610-3540	-1S, 4440-7440 (G.P.-1400)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
37.	गैस मैन / लेथ मिस्त्री	2650-3540	-1S, 4440-7440 (G.P.-1650)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
38.	सेलेक्षन ग्रेड पिउन	2610-3540	-1S, 4440-7440 (G.P.-1400)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
39.	चपरासी / आदेषपाल / गेट कीपर / रात्रि प्रहरी	2550-3200	-1S, 4440-7440 (G.P.-1300)	
40.	स्वीपर / बस खलासी	2550-3200	-1S, 4440-7440 (G.P.-1300)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
41.	माली	2610-3540	-1S, 4440-7440 (G.P.-1300)	
42.	रेकर्ड सप्लायर	2610-3540	-1S, 4440-7440 (G.P.-1300)	
43.	कल्याण पदाधिकारी	5th PRC में नहीं	9300-34800 (G.P.-5400)	
44.	कुलपति के निजी सहायक	5th PRC में नहीं	9300-34800 (G.P.-4200)	
45.	बोलीबोल / हॉकी / क्रिकेट / फुटबॉल कोच	5th PRC में नहीं	9300-34800 (G.P.-4200)	

46.	क्यूरेटर	5th PRC में नहीं	9300-34800 (G.P.-4200)	
47.	की पंच ऑपरेटर (वर्ग–3 का पद)	5th PRC में नहीं	5200-20200 (GP-2400)	इन पदों के विरुद्ध भविष्य में कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
48.	रसोईया / वाटर मैन	5th PRC में नहीं	4440-7440 (G.P. – 1650)	

नोट : (क) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1859 / वि0 दिनांक–02.09.2011 के आलोक में दसवीं उतीर्ण। समूह "घ" के सभी पदों का दिनांक–01.04.2011 से ग्रेड वेतन 1800 / – रुपये तथा दसवीं अनुत्तीर्ण का ग्रेड वेतन उक्त तिथि से 1650 / – रुपये अनुमान्य होगा।

(ख) भविष्य में इस समूह के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी।

सरकार के उप सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।